ओ.डी.ओ.पी वित्त पोषण हेतु सहायता योजना

उद्देश्य

ओ.डी.ओ.पी उत्पादों के समग्र विकास के लिए वित्तीय प्रोत्साहन के माध्यम से कारीगरों / श्रमिकों / उद्यमियों को लाभान्वित करना।

पात्रता की शर्ते

- आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
- शैक्षिक योग्यता की कोई बाध्यता नहीं है।
- योजनान्तर्गत उद्योग, सेवा एवं व्यवसाय क्षेत्र में वित्त पोषण में सहायता की सुविधा संबन्धित जनपद हेतु चिन्हित ओ.डी.ओ.पी उत्पाद की इकाइयों को ही प्राप्त होगी।
- आवेदक या इकाई किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्था/ सरकारी संस्था इत्यादि का चूककर्ता नहीं होना चाहिए।
- आवेदक द्वारा भारत सरकार अथवा उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा संचालित किसी अन्य स्वरोजगार योजना का पूर्व में लाभ प्राप्त न किया गया हो।
- आवेदक अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य को योजनान्तर्गत केवल एक बार ही लाभान्वित किया जाएगा।
- आवेदक द्वारा पात्रता की शर्तों को पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा।
- विशेषश्रेणी (अनुसूचितजाति, अनुसूचितजनजाति, अन्यपिछड़ावर्ग, अल्पसंख्यक, महिला एवं दिव्यांगजन) के लाभार्थियों को लाभ प्राप्त करने हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत संगत प्रमाण पत्रों की प्रमाणिक प्रति आवेदन पत्र के साथ सलंग्न करनी होगी।

प्रोत्साहन

क्रमांक	परियोजना लागत (रू लाख)	मार्जिन मनी सहायता
1	25 तक	परियोजना लागत का 25 प्रतिशत या अधिकतम रू 6.25 लाख, जो भी कम हो
2	25 से अधिक और 50 तक	परियोजना का 20 प्रतिशत या अधिकतम रू 6.25 लाख, जो भी अधिक हो
3	50 से अधिक और 150 तक	परियोजना का 10 प्रतिशत या अधिकतम रू 10 लाख, जो भी अधिक हो
4	150 से अधिक	परियोजना का 10 प्रतिशत या अधिकतम रू 20 लाख, जो भी कम हो

मुख्य बिंदु

- इस योजना का वित्तपोषण राष्ट्रीयकृत बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और अन्य अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा किया जाएगा।
- उक्त राशि के सापेक्ष प्राप्त दावे के विरुद्ध विभाग द्वारा मार्जिन मनी स्वीकृत की जाएगी।
- लाभार्थी की परियोजना के सफलतापूर्वक संचालित रहने तथा किसी प्रकार का डिफ़ॉल्ट न होने की दशा में 2 वर्षो के पश्चात् मार्जिन मनी को अनुदान के रूप में संयोजित कर दिया जायेगा।
- सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों द्वारा परियोजना लागत का 10 प्रतिशत स्वयं के अंशदान के रूप में जमा करना होगा। विशेष श्रेणी (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला एवं दिव्यांगजन) के लाभार्थियों को कुल परियोजना लागत का 5 प्रतिशत स्वयं के अंशदान के रूप में जमा करना होगा।
- बैंक शाखा से ऋण स्वीकृति के उपरान्त लाभार्थियों को प्रतिष्ठित संस्थाओं जैसे - राजकीय पॉलिटेक्निक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, RSETI, उद्यमिता विकास संस्थान इत्यादि के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाएगा।